



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55580

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10093/2026

प्रियंका और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : अजीत कुमार, महेंद्र कुमार यादव

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाय।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों याचिकाकर्ता पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और उन्हें प्रतिवादी संख्या 4 से जीवन को खतरा होने की आशंका है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले से ही विवाहित था और याचिकाकर्तागण का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्य अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं की है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान विवाद **2020 की रिट-सी संख्या 18743 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में पारित इस न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले के साथ पूरी तरह से कवर किया गया है। जिस पर 01.12.2020 को निर्णय लिया गया, **2024 की रिट-सी संख्या 7230 (भगवती पथवार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य)**, के फैसले पर 14.3.2024 को निर्णय लिया गया और **2025 की रिट-सी संख्या 36027 (श्रीमती सोनम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य)** में पारित इस न्यायालय का निर्णय 07.11.2025 को सुनाया गया, इसलिए, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

5. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

6. शादी के रिश्ते में या लिव-इन रिलेशनशिप में, दो सहमति वाले वयस्क इंसान होने चाहिए। गोत्र, जाति और धर्म की अवधारणा बहुत पीछे छूट गई है। किसी को भी दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि दो वयस्कों के माता-पिता भी उनके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन, स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं है, यह कुछ प्रतिबंधों द्वारा भी सीमित है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता विलुप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। एक पति या पत्नी को अपने समकक्ष के साहचर्य का आनंद लेने का वैधानिक अधिकार है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और दूसरे पति या पत्नी के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या अधिक वजन नहीं कर सकती है। यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित हैं और उनके पति या पत्नी जीवित हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से पहले पति या पत्नी से तलाक मांगे बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसे पहले विवाह संपन्न करने या अपने कानूनी विवाह से बाहर रिश्ते में रहने से पहले सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त करनी होगी।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न घोषणाओं में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते समय, यह इस तथ्य को दिशानिर्देश देता है कि जोड़े को शादी करने के लिए कानूनी उम्र होनी



चाहिए और अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य होना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण अवधि के लिए पति या पत्नी के समान होना चाहिए। मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं या उन्होंने पहले की शादी से तलाक लेने के बाद शादी कर ली है। इस न्यायालय के समक्ष न तो संयुक्त खाते, वित्तीय सुरक्षा, संयुक्त संपत्ति या संयुक्त व्यय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि याचिकाकर्ता पति/पत्नी के समान हैं।

8. निम्नलिखित रिश्ते को विवाह की प्रकृति में रिलेशनशिप या लिव-इन रिलेशनशिप के रूप में मान्यता अनुमोदित नहीं किया गया है। यह सूची संपूर्ण नहीं है, बल्कि केवल उदाहरण है: -

"(ए) उपपत्नी विवाह की प्रकृति में संबंध बनाए नहीं रख सकती है।

(बी) बहुविवाह, जो एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति होने का संबंध या प्रथा है, या एक द्विविवाही विवाह के माध्यम से एक संबंध है जो किसी से शादी कर रहा है, जबकि पहले से ही दूसरे से शादी कर रहा है और/या एक व्यभिचारी संबंध बनाए रखना है जो एक विवाहित व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक संभोग कर रहा है जो किसी का पति या पत्नी नहीं है, विवाह की प्रकृति में एक रिश्ता नहीं कहा जा सकता है। बहुविवाह भी आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत एक आपराधिक अपराध है।

(सी) जब तक तलाक की डिक्री पारित नहीं हो जाती है, तब तक विवाह बना रहता है। पहली शादी के निर्वाह के दौरान कोई भी अन्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के साथ पठित धारा 494 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध होगा और व्यक्ति, किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बावजूद द्विविवाह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

(डी) यदि दोनों व्यक्ति अन्यथा अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं।

9. यह स्थापित कानून है कि परमादेश की रिट जारी की जा सकती है यदि याचिकाकर्ता को उस पक्ष द्वारा कानूनी कर्तव्य के पालन का कानूनी अधिकार है जिसके खिलाफ परमादेश मांगा गया है और ऐसा अधिकार याचिका की तारीख को कायम होना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों पर परमादेश जारी करने के सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्तागण को वर्तमान वाद के तथ्यों पर सुरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, आईपीसी की धारा 494/495 के तहत अपराध के खिलाफ सुरक्षा के बराबर हो सकता है।



यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि परमादेश की रिट कानून के विपरीत जारी नहीं की जा सकती है या दंडात्मक प्रावधान सहित किसी वैधानिक प्रावधान को विफल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्तागण के पास परमादेश मांगने का कानूनी रूप से संरक्षित और न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अस्तित्व का अधिकार नहीं है।

10. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं और इस न्यायालय के न्यायिक प्राधिकारियों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय उन याचिकाकर्तागण को सुरक्षा के लिए परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। ऐसी स्थिति में, लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा करने वाले याचिकाकर्तागण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ आशा देवी (पूर्वोक्त), भगवती पथवार (पूर्वोक्त) और श्रीमती सोनम (पूर्वोक्त) के निर्णय के आलोक में सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है।

11. हालांकि, यदि याचिकाकर्ताओं को परेशान किया जाता है या उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा की जाती है, तो वे एक विस्तृत आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत करके संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकारी उसकी विषय वस्तु को सत्यापित करेगा और याचिकाकर्तागण के जीवन और अंग को सुरक्षित करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

12. तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

नितेंद्र